न्यायालय उपजिलाधिकारी हण्डिया इलाहाबाद
वाद सं० 62/2013

नकल प्राप्त दि० 26/12/13
धारा 143 ज० वि० अधि०
मौजा पूरे भनई प० केवाई हण्डिया इलाहाबाद
अर्चना बनाम गाँव सभा

न्यायालय उपजिलाधिकारी हण्डिया, इलाहाबाद।

वाद सं0 62/2013 सन् 2013
धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम-पूरेभनई, परगना-केवाई
तहसील-हण्डिया, जिला-इलाहाबाद।

अर्चना गर्ल्स डिग्री कालेज पूरेभनई, परगना-केवाई, तहसील-हण्डिया, जिला-इलाहाबाद

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद अर्चना गर्ल्स डिग्री कालेज पूरेभनई, परगना-केवाई, तहसील-हण्डिया, जिला-इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक विजयनाथ मौर्य पुत्र यज्ञनारायण मौर्य द्वारा धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया है कि गाटा सं0 16 रकबा 0.0460हे0 व आ0सं0 51 रकबा 0.0570 हे0 व आ0सं0 19 रकबा 1.2780हे0 स्थित मौजा-पूरेभनई, परगना-केवाई, तहसील-हण्डिया, जिला-इलाहाबाद का संक्रमणीय भूमिधर /बैनामेदार है तथा आराजी निजाई पर प्रार्थिनी /कालेज बतौर आबादी के रुप में कालेज बनाकर उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। अतएव उक्त आराजी में 0.520हे0 को अकृषिक घोषित किया जाय। पत्रावली जाँच हेतु तहसीलदार हण्डिया को भेजी गयी। तहसीलदार हण्डिया की आख्या प्राप्त हुयी। जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम-पूरेभनई की खतौनी वर्ष 1416-1421 की खाता सं0 95 गाटा सं0 19 रकबा 1.278हे0 व खाता सं0 5 गाटा सं0 26 रकबा 0.046 व गाटा सं0 51 रकबा 0.057हे0 पर वादिनी का नाम सहखातेदार के रुप में दर्ज है इसमें रकबा 0.520हे0 का बैनामा कालेज/वादी द्वारा किया गया है और उसका नाम खतौनी में दर्ज हो चुका है। उस पर कृषि कार्य नही होता है। तहसीलदार हण्डिया द्वारा उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। मैं तहसीलदार हंडिया की आख्या से सहमत हूँ। उक्त गाटा की चौहद्दी उ0-खेत राम श्रृंगार, द0-लिंक मार्ग, पू0-खेतरामबरन, प0-खेत मुन्नी लाल ।

निर्णय

मौजा-पूरेभनई, परगना-केवाई, तहसील-हण्डिया, जिला-इलाहाबाद के आ0सं0 19 रकबा 1.278हे0 व आ0स0 26 रकबा 0.046 हे0 व आ0स0 51 रकबा 0.057हे0 में से 0.520हे0 मौजा-पूरेभनई, परगना-केवाई, तहसील-हण्डिया, जिला-इलाहाबाद को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-

26.12.2013
(जे0एन0 सचान))
उपजिलाधिकारी हंडिया,
इलाबाद।

सं. 10/0.12

धारा 143 ज.वि.अधि.

नकल आदेश दिनांक 28/1/16

न्यायालय उपजिलाधिकारी हंडिया, इलाहाबाद।

वाद सं0 T2016020304336 सन् 2016

अर्चना गर्ल्स डिग्री कालेज बनाम ग्राम सभा
धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम-पुरेभनई, परगना-केवाई,
तहसील-हंडिया, इलाहाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत वाद अर्चना गर्ल्स डिग्री कालेज पुरेभनई, परगना-केवाई, तहसील-हंडिया, जिला-इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक विजय नाथ मौर्य पुत्र यज्ञ नारायण निवासी ग्राम-रामनाथी, परगना-केवाई, तहसील-हंडिया, जिला-इलाहाबाद ने अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम पुरेभनई, परगना-केवाई के गाटा सं0-26 रकबा 0.046हे0 व गाटा सं0-51मि0 रकबा 0.006 व गाटा सं0-19मि0 रकबा 0.467 हे0 का संक्रमणीय भूमिधर है। उपरोक्त भूमि पर कालेज बनाकर काबिज दखिल है और भूमि का प्रयोग अकृषिक रुप से किया जा रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार हंडिया से जांच कराई गई। तहसीलदार हंडिया ने दिनांक 20.01.2016 द्वारा भूमि को अकृषिक घोषित कर लगान मुक्त करने की आख्या प्रस्तुत की है। तहसीलदार हंडिया की जांच आख्या स्वीकार की जाती है।

अत: आदेश किया जाता है कि ग्राम-पुरेभनई, परगना-केवाई के गाटा सं0-26 रकबा 0.046हे0 व गाटा सं0-51मि0 रकबा 0.006 व गाटा सं0-19मि0 रकबा 0.467 हे0 भूमि अकृषिक घोषित कर लगान मुक्त की जाती है। तहसीलदार हंडिया की जांच आख्या दिनांक 20.01.2016 आदेश का अंग होगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 28-1-16

(अरुण कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी हंडिया,
इलाहाबाद।

28/1/16

28/1/16